Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं0: 1408/12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 18/01/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा़ से स्याबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.316 हे० आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- **अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी का पत्रांक- पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/विधिवत, दिनांक 16.12.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से याचक विभाग द्वारा विषयगत मोटर मार्ग में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के पत्रांक 2253/12-1 दिनांक 20.12.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रेषित किया जा रहा है-

क्र०सं०	सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें	बिंदुवार अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 हे० स्याबा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित जमा की जायेगी)। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 1849220.94 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्नक-01) व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 3.318 है० वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 6.636 है० हेतु चयनित स्थल ग्राम स्याबा, तहसील-भटवाड़ी खसरा संख्या-31 रकवा 0.660 है०, खसरा संख्या-44 रकवा 0.219 है०, खसरा संख्या-237 रकवा 0.216 है०, खसरा संख्या-238 रकवा 0.532 है०, खसरा संख्या-242 रकवा 0.036 है०, खसरा संख्या-273 रकवा 0.958 है०, खसरा संख्या-309 रकवा 0.692 है०, खसरा संख्या-324 रकवा 0.315 है०, खसरा संख्या-333 रकवा 0.267 है०, खसरा संख्या-364 रकवा 0.376 है०, खसरा संख्या-405 रकवा 0.471 है०, खसरा संख्या-410 रकवा 0.191 है०, खसरा संख्या-415 रकवा 0.377 है०, खसरा संख्या-419 रकवा 0.972 है०, खसरा संख्या-424 रकवा 0.005 है०, खसरा संख्या-428 रकवा 0.349 है०, सिविल सोयम भूमि कुल रकवा 6.636 है० में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की प्रक्रिया जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्ण की जा चुकी है (संलग्नग-02)। शासनादेश संख्या 1408/X-3-21/1(146)/2017, दिनांक 25.10.2021 के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है (संलग्नक-03) । अपर संरक्षक नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1154/1जी-विविध (उत्तरकाशी) दिनांक 09.11.2021 के क्रम में

ह०

P.T.O.

		उक्त मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/ हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आतिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं हुई है।(संलग्नग-03)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 2179926.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-01)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है जो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा रही है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 2179926.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी थीं। 05 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी से एन०पी०वी० की बढ़ी हुई दरों के अनुसार संशोधित कर अवशेष धनराशि रू० 1155360.78 लाख का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में जमा करवा दी गयी है। (संलग्नक-04)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV ect) का वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाये। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधिंया (CA cost, NPV ect) ऑनलाइन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा जमा किया जा चुका है।
5	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Centra Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने वेब पर वन विभाग की देखरेख में की जायेगीं। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी यह प्रमाण पत्र देती है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे Centra Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की रख-रखाव में करेगा। (संलग्नक-04)
6	State government may submit original hard copy of part IV and V	उक्त शर्त का अनुपालन उच्च स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसारः-

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक ह०
16/01/24

पत्रांकः- 1408/ 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती। ह०
16/01/24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–2253 / 12–1, कोटबंगला, दिनांक 20/12/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती,

वन विभाग
प्राप्ति
कि० पत्रि 4391
पत्रावली 12-1
दिनांक 01/01/24
उत्तराखण्ड

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.316 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी का कार्यालय पत्रांक– 2343 पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / विधिवत, दिनांक– 16 / 12 / 2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से याचक विभाग द्वारा विषयगत मोटर मार्ग में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अद्यरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है जो निम्नवत है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 हे0 स्याबा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित जमा की जायेगी)। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 1849220.94 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है **(संलग्नक–01)** व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 3.318 है0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 6.636 है० हेतु चयनित स्थल ग्राम स्याबा तहसील–भटवाडी खसरा संख्या–31 रकवा 0.660 है०, खसरा संख्या–44 रकबा 0.219 है०, खसरा संख्या–237 रकवा 0.216 है०, खसरा संख्या–238 रकवा 0.532 है०, खसरा संख्या–242 रकवा 0.036 है०, खसरा संख्या–273 रकवा 0.958 है०, खसरा संख्या–309 रकवा 0.692 है०, खसरा संख्या–324 रकवा 0.315 है०, खसरा संख्या–333 रकवा 0.267 है०, खसरा संख्या–364 रकवा 0. 376 है०, खसरा संख्या–405 रकवा 0.471 है०, खसरा संख्या–410 रकवा 0.191 है०, खसरा संख्या–415 रकवा 0.377 है०, खसरा संख्या–419 रकवा 0.972 है०, खसरा संख्या–424 रकवा 0.005 है0. खसरा संख्या–428 रकया 0.349 है०, सिविल सोयम भूमि कुल रकवा 6.636 है० में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की प्रक्रिया जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्ण की जा चुकी है **(संलग्नक–02)**। शासनादेश संख्या 1408 / X–3–21 / 1(146) / 2017, दिनांक 25.10.2021 के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित / हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है **(संलग्नक– 03)**। अपर संरक्षक नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1154 / 1जी–विविध (उत्तरकाशी) दिनांक 09.11.2021 के क्रम में उक्त मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित / हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आतिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं हुई है। **(संलग्नक–03)**।

B.F..B.C. 01/01/24

D:\DraftMan Letter\Latter.doc

2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एम०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रु० 2179926.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है (संलग्नक–01)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है जो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा रही है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 2179926.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी थी। 05 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण प्रायोक्ता ऐजेन्सी से एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों के अनुसार संशोधित कर अवशेष धनराशि धनराशि रु० 1155360.78 लाख का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में जमा करवा दी गई है। **(संलग्नक–04)।**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV ect) का वेब पोटल पर ऑनालाइन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) ऑनलाइन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा जमा किया जा चुका है।
5	सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Centra Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने वेब पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी यह प्रमाण पत्र देती है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारे Centra Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की रख–रखाव में Strip Plantation करेगा **(संलग्नक–05)**
6	State government may submit original hard copy of part IV and V.	उक्त शर्त का अनुपालन उच्च स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुपालन आख्या को ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी
Email Id :- eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0:–01374.223804

पत्रांक 2343 /पी0एम0जी0एस0वाई0/ सि0ख0 /विधिवत दिनांक 16/12/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोटबंगला उत्तरकाशी।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के** अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.318 **है0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानकी** कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन **करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– 1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक संख्या 567/FP/UK/ROAD/29432/2017 दिनांक 22.09.2023।
2– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/105/2017/एफ.सी./944 दिनांक 17.10.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में उक्त मोटर मार्ग पर लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 01 का अनुपालन पुनः बिन्दुवार कर दिया गया है एवं उक्त मोटर मार्ग पर 3.318 है0 वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति की सभी शर्ते बिन्दु संख्याा 1 से 6 तक का निम्नानुसार पालन किया जा चुका है।

क्रसं	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 हे0 स्याबा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित जमा की जायेगी)। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 1849220.94 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है (संलग्नक–01) व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 3.318 है0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 6.636 है0 हेतु चयनित स्थल ग्राम स्याबा तहसील–भटवाडी खसरा संख्या–31 रकवा 0.660 है0, खसरा संख्या–44 रकवा 0.219 है0, खसरा संख्या–237 रकवा 0.216 है0, खसरा संख्या–238 रकवा 0.532 है0, खसरा संख्या–242 रकवा 0.036 है0, खसरा संख्या–273 रकवा 0.958 है0, खसरा संख्या–309 रकवा 0.692 है0, खसरा संख्या–324 रकवा 0.315 है0, खसरा संख्या–333 रकवा 0.267 है0, खसरा संख्या–364 रकवा 0. 376 है0, खसरा संख्या–405 रकवा 0.471 है0, खसरा संख्या–410 रकवा 0.191 है0, खसरा संख्या–415 रकवा 0.377 है0, खसरा संख्या–419 रकवा 0.972 है0, खसरा संख्या–424 रकवा 0.005 है0, खसरा संख्या–428 रकवा 0.349 है0, सिविल सोयम भूमि कुल रकवा 6.636 है0 में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की प्रकिया जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्ण की जा चुकी है (संलग्नक–02)। शासनादेश संख्या 1408/X-3-21/1(146)/2017 दिनांक 25.10.2021 के कम में उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है (संलग्नक– 03)। अपर संरक्षक नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1154/1जी–विविध (उत्तरकाशी) दिनांक 09.11.2021 के कम में उक्त मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश अपर प्रमुख वन सरंक्षक भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी कोई भी प्रति अधिकारिक तौर पर इस खण्ड को प्राप्त नहीं हुयी है (संलग्नक–03)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 2179926.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है (संलग्नक–01)।

AE II

Scanned by CamScanner

	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है जो बढी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्वता प्रस्तुत की जा रही है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 2179926.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी थी। एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुपालन में जमा करने वाली अवशेष धनराशि रू0 1155360.78 लाख का भुगतान वन विभाग के पक्ष में ऑनलाइन कर दिया गया है (संलग्नक–04)।
4	**प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV ect) का वेब पोटल पर ऑनालाइन जनरेट किये गये चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगा।**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) ऑनलाइन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा जमा किया जा चुका है।
5	**सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Centra Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने वेब पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी इस आशय की बचनबद्वता प्रेषित करनी होगी।**	**प्रयोक्ता एजेन्सी यह प्रमाण पत्र देती है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारे Centra Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की रख–रखाव में Strip Plantation करेगा (संलग्नक–05)**
6	State government may submit original hard copy of part IV and V.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

16/12/2023

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0,
उत्तरकाशी

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/तदिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी।
2 मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
3 मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0 आई0टी0 **पार्क के सामने** सहस्त्र धारा रोड, देहरादून।
4 अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, वृत्त मसूरी ।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0,
उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner

(संलग्नक - 1)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/29432/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/29432/2017) Bayana to Syaba motor road	ROAD29432201723	26129432232	26 Jun 2018	CA: 1849220.94/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 21[illegible]9926/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/ Other Charges3 : 0/ Total : 40[illegible]9146.94/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Nov 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 14 Nov 2018 Transaction Date : 20 Dec 2018	Demand Letter (../writereaddata Generated Challa pid=ROAD29432

12

Scanned by CamScanner

(संलग्नक-2)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी ने अपने पत्र संख्या 1540/पी.एम.जी.एस.वाई.सिं.ख. दिनांक 29.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग (3.318 हे0) के निर्माण हेतु 6.636 हे0 स्याबा सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्रावली की दाहिनी ओर पताका "ब" पर प्रस्तुत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/105/2017/एफ0सी0/576 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 है0 ग्राम स्याबा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 बर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी द्वारा अपने पत्र संख्या 319/पी.ए. -विविध जांच. पत्रा./2018-19 दिनांक 04 फरवरी, 2019 के द्वारा निम्न प्रकार से आख्या प्रस्तुत की गयी है। 1-प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थल मन्दिर मस्जिद आदि नहीं है।2-प्रस्तावित भूमि में कोई सरकारी/गैर सरकारी भवन नहीं है। 3-प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। 4-प्रस्तावित भूमि का वन विभाग एवं याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है। 5-प्रस्तावित भूमि के पूर्व में [illegible]

[illegible] प्रस्तावित भूमि के खसरा नं0 31/0.660, 44/0.219, 227/0.216, 238/0.532, 273/0.953, 309/0.693, 324/0.315, 333/0.267, 364/0.376, 405/0.471, 410/0.191, 415/0.377, 419/0.972, 424म0/0.040, 428/0.349 कुल 15 खेत रक्वा 6.636 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी श्रेणी-9(3) ड0 की भूमि है नक्शा खसरा खतौनी नकल संलग्न की गयी है।

अतः तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी से प्राप्त आख्या अनुसार ग्राम स्याबा पट्टी [illegible] कठूड़ तहसील भटवाड़ी में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व वर्ग-9 (3)ड. की भूमि खसरा नं0 31/0.660, 44/0.219, 227/0.216, 238/0.532, 273/0.953, 309/0.693, 324/0.315, 333/0.267, 364/0.376, 405/0.471, 410/0.191, 415/0.377, 419/0.972, 424म0/0.040, 428/0.349 कुल 15 खेत रक्वा 6.636 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है। शासनादेश संख्या 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002, शासनादेश संख्या 111/XXVII (7)50(39)/ 2015/2014 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। रिट याचिका संख्या 2764/2011 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 आच्छादित नहीं है। अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग स्वीकृत है जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कोटबगला उत्तरकाशी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि को नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

दिनांक [illegible] मार्च, 2019

संख्या 3533 /ग्यारह-11(2017-18)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, भटवाड़ी।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

(संलग्नक -3)

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 1154 / 1जी—विविध (उत्तरकाशी) : देहरादून:दिनांक: 1/11/2 अक्टूबर, 2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामांतरित/हस्तांतरित सिविल सोयज भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित सिविल सोयम भूमि को 'संरक्षित वन' घोषित किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में शर्त अधिरोपित की गयी है। इस परिपेक्ष में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत निम्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित सिविल सोयम भूमि को 'संरक्षित वन' घोषित करने हेतु सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकरणों के सम्मुख लिखे शासनादेशों द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है जिनकी प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0 स0	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का नाम	अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4
1	FP/UK/ROAD/8571/2014	Construction Of Chinyalisour Jogath motor road to Bagori Motor Road Under PMGSY.	1409/X-3-21/1(96)/2015 दिनांक 22.10.2021
2	FP/UK/ROAD/26775/2017	Tambakhani suit upachar under Varunaprawat	1414/X-3-21/1(127)/2017 दिनांक 22.10.2021
3	FP/UK/ROAD/20224/2016	Construction of Margaw Jaspur Chmiyari to Ulan Motor Road.	1410/X-3-21/1(03)/2017 दिनांक 22.10.2021
4	FP/UK/ROAD/9574/2015	Nakori singot motor road to Paaw motor road under PMGSY	1425/X-3-21/1(114)/2015 दिनांक 22.10.2021
5	FP/UK/ROAD/15647/2015	Mallasari silla motor road under PMGSY	1396/X-3-21/1(146)/2016, दिनांक 14.10.2021
6	FP/UK/ROAD/29432/2017	Jamak byana to Sayaba motor road under PMGSY	1408/X-3-21/1(146)/2017, दिनांक 25.10.2021

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)

संख्या 1154 / 1जी—विविध (टिहरी) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि:—सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग—03, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)

O/c

Scanned by CamScanner

(संलग्नक-4)

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायती...
आई०टी० पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष 0135-2608125, फैक्स 2608126.
ईमेल ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांक : 1823 / आई3–01 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2023 दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक
पंजाब नेशनल बैंक,
तिलक रोड, देहरादून।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता संख्या 1087000100212269 से यूनियन बैंक, मिशन रोड बैंगलूरू के खाता संख्या–150896129432840 में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पास चैक संख्या 345795 दिनांक 14.12.2023 धनराशि रू0 1155361.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त का भुगतान RTGS के माध्यम से Uttaranchal Campa Ac No- 150896129432840 यूनियन बैंक, मिशन रोड बैंगलूरू में करने का कष्ट करें। RTGS हेतु विवरण निम्नानुसार है:–

Name	-	Uttaranchal Campa
Name of Bank	-	UNION Bank of INDIA
Address	-	Mission Road, Bengaluru
Amount	-	1155361.00
IFC Code	-	UBIN0996335
A/C No	-	150896129432840

संलग्नः उक्त चैक।

पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank Tilak Road, Dehradun तिलक रोड, देहरादून

14/12/23

अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

Scanned by CamScanner

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत **बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग** (लम्बाई 6.00 किमी0) के निर्माण के पश्चात जहां–जहां पर सम्भव हो सके, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation(पथ वृक्षारोपण) किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता **पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0** **उत्तरकाशी**	**सहायक अभियन्ता** **पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0** **उत्तरकाशी**	**अधिशासी अभियन्ता** **पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0** **उत्तरकाशी**

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner